अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंधन

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंसों की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरीज में उत्पादित स्पिरिट/बीयर और उनके एक राज्य से दूसरे राज्य को आयात/निर्यात पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

ठेकों के ज़ोन का आवंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके किया जाता है। ई-टेंडरिंग की विस्तृत प्रक्रिया को ई.टी.सी. द्वारा अंतिमकृत किया जाता है जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करके प्रदर्शित किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 86 इकाइयों में से 28 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 374 मामलों में ₹ 15.77 करोड़ (2018-19 के लिए ₹ 6,041.87 करोड़ की प्राप्ति का 0.26 प्रतिशत) से संबंधित आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो तालिका 3.1 में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	42	1.63
2	ठेकों के पुनःआबंटन पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि उदग्रहित न करना	18	4.45
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	85	5.22
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	147	0.92
5	विविध अनियमितताएं	82	3.55
	योग	374	15.77

स्रोत : कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

चार्ट 3.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

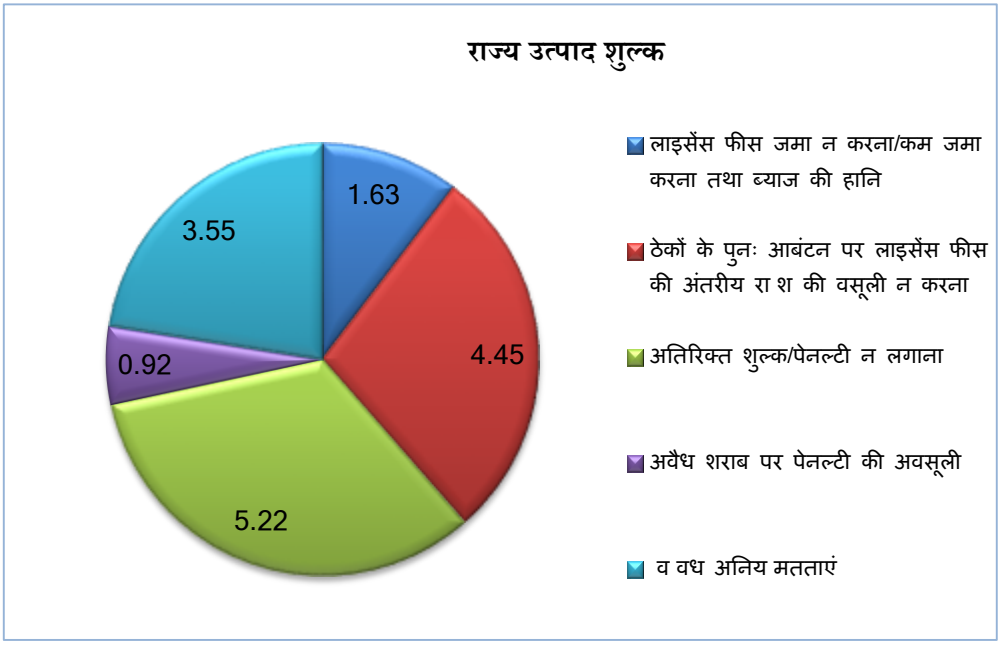

स्रोत : कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 363 मामलों में आवेष्टित ₹ 14.70 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित आठ मामलों में आवेष्टित ₹ 16.44 लाख वसूल किए।

₹ 1.97 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 ब्याज की अवसूली/कम वसूली

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने समय पर मासिक किश्त जमा नहीं करने पर न तो ठेकों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.61 करोड़ का ब्याज उदग्रहित किया।

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और देसी शराब (सी.एल.) की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस वाला प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसा करने में विफल रहने से लाइसेंसधारी, उस

माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किश्त के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो ठेकों के जोन अगले माह के प्रथम दिन से बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} द्वारा साधारणतः सील बंद किए जाएंगे और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सीज (आबकारी), जगाधरी तथा कैथल के 2017-18 के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान की निगरानी हेतु एम-2 रजिस्टरों की अगस्त एवं सितंबर 2018 में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 33 जोन में से 11 में निर्धारित देय तारीख के बाद ₹ 56.42 करोड़ की राशि की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 116 दिनों के विलंब के साथ किया गया था। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने दुकानों के जोन को सील करने और लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान हेतु ब्याज लगाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

मामला नवंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (मार्च 2021) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जगाधरी द्वारा ₹ 8.68 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 1.52 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही/प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज की स्वचालित गणना की अंतर्निहित यंत्रावली के लिए विचार करे।

3.4 अवैध स्वामित्व के लिए पेनल्टी की अवसूली/अनुद्ग्रहण

विभाग ने जब्त किए गए वाहनों की नीलामी या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करके **₹** 35.51 लाख की पेनल्टी वसूल करने की उपयुक्त कार्रवाई शुरू नहीं की।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 (1) (एएए) (सी) (i) में प्रावधान है कि अवैध शराब[1] रखने के दोषी से 750 प्रति मिलीलीटर या उसके हिस्से की बोतल पर जो ₹ 50 से कम न हो और ₹ 500 प्रति बोतल से अधिक न हो की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है। आगे, हरियाणा अधिरोपण और दंड की वसूली नियमावली, 2003 के

[1] अवैध शराब का अर्थ है किसी गुणवत्ता नियंत्रण जांच के बिना गैर-कानूनी ढंग से तैयार की गई शराब जो अनुमत सीमा से अधिक मादक केंद्रीकरण के कारण मानवीय खपत हेतु उपयुक्त नहीं है।

नियम 12 और 13 में प्रावधान है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलैक्टर या उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[2] के 2017-18 तथा 2018-19 के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने सड़क पर चेकिंग के दौरान 48 मामलों में अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के मध्य अवैध शराब की 58,699 बोतलें पकड़ी और आठ[3] वाहन जब्त किए। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के बाद 42 मामलों का निर्णय किया और ₹ 19.13 लाख की पेनल्टी लगाई तथा शेष छः मामलों में ₹ 16.68 लाख की पेनल्टी नहीं लगाई थी। इस प्रकार पेनल्टी की कुल राशि जो ₹ 35.81 लाख परिकलित की गई में से विभाग केवल ₹ 0.30 लाख (0.84 प्रतिशत) वसूल कर सका था व एक से तीन वर्षों के बीत जाने के बाद भी जब्त वाहनों की नीलामी करने या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करके ₹ 35.51 लाख की शेष पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही नहीं की।

मामला नवंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (मार्च 2021) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि ₹ 0.29 लाख की राशि वसूल की गई थी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी), हिसार, जगाधरी, पंचकुला और सोनीपत के संबंध में ₹ 18.58 लाख की शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे/ नोटिस जारी किए गए थे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुरुग्राम (पूर्व) में विभाग ने बताया कि निप्स को पूर्ण बोतल में परिवर्तित करके ₹ 16.64 लाख में से ₹ 5.57 लाख की राशि वसूल की गई थी। विभाग की कार्रवाई उचित नहीं है, क्योंकि पंजाब आबकारी अधिनियम के अनुसार, अवैध शराब के स्वामित्व के लिए दोषी से 750 मिलीलीटर की बोतल या उसके हिस्से पर न्यूनतम ₹ 50 प्रति बोतल की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

विभाग अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ करने पर विचार कर सकता है ताकि देय राशियों का उचित संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके तथा पेनल्टी न लगाने या कम उद्ग्रहण के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके।

---

[2] हिसार, सोनीपत, पंचकुला, जगाधरी और गुरुग्राम।

[3] डी.ई.टी.सी. (आबकारी) हिसार (03 वाहन), जगाधरी (02 वाहन) और पंचकुला (03 वाहन)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।